निर्णय बइजलास द्वारा श्री शक्ति सिंह भाटी (R.A.S.) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द

प्र0सं0 62/2019/प्रा0पत्र/ निर्णय दिनांक :– 10.10.2019

अनवान

1. श्री मिठू लाल पिता श्री गोरधन लाल आयु बालिग जाति नाई निवासी आंजना का चौडा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
2. श्री मांगीलाल पिता श्री गोरधन लाल आयु बालिग जाति नाई निवासी आंजना का चौडा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
3. श्री शंकरलाल पिता श्री गोरधन लाल आयु बालिग जाति नाई निवासी आंजना का चौडा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

———प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री लक्ष्मण पिता श्री गणेश नाई आयु बालिग निवासी दौलपुरा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
2. श्री गोरधन पिता श्री बक्षु कलाल आयु बालिग निवासी आंजना का चौडा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
3. श्री सुआ पिता श्री भजा सालवी आयु बालिग निवासी आंजना का चौडा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
4. श्री आसु पिता गणेश प्रजापत आयु बालिग निवासी आंजना का चौडा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
5. श्री डालु पिता श्री गिरधारी प्रजापत आयु बालिग निवासी आंजना का चौडा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
6. श्री नारायण पिता श्री गणेश कलाल आयु बालिग निवासी आंजना का चौडा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
7. श्री उदा पिता श्री गोरधन गुर्जर आयु बालिग निवासी दौलपुरा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
8. श्री मोहन पिता श्री गोरधन गुर्जर आयु बालिग निवासी दौलपुरा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
9. श्री प्रताप पिता श्री वरदा जी प्रजापत आयु बालिग निवासी आंजना का चौडा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
10. श्री गोकल पिता श्री गणेश प्रजापत आयु बालिग निवासी आंजना का चौडा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला–राजसमन्द

———विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राज.ले.एक्ट

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत हुआ कि ग्राम आंजना पटवार हल्का आंजना तहसील देवगढ़ में प्रार्थी की खातेदारी भूमि स्थित हैं जिसके खाता नम्बर 343/325 के आराजी नम्बर 107 रकबा 1.09, आराजी नम्बर 115 रकबा 3.08, आराजी नम्बर 118/1 रकबा 0.07, आराजी नम्बर 119/2 रकबा 0.02, आराजी नम्बर 119/3 रकबा 0.04, आराजी नम्बर 121 रकबा 2.03, आराजी नम्बर 123 रकबा 10.06, आराजी नम्बर 301 रकबा 0.18, आराजी नम्बर 307 रकबा 0.04, आराजी नम्बर 308/1 रकबा 0.08, आराजी नम्बर 526/1 रकबा 0.12, आराजी नम्बर 528 रकबा 1.15, आराजी नम्बर 529 रकबा 1.09, आराजी नम्बर 530 रकबा 0.12, आराजी नम्बर 531 रकबा 1.18, आराजी नम्बर 532 रकबा 1.12 कुल किता 16 कुल रकबा 26 बीघा 17 विस्वा भूमि स्थित हैं। उक्त भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी होकर प्रार्थी का कब्जा कास्त हैं एवं इसका उपयोग – उपभोग भी प्रार्थी ने ही कर रखा हैं। उक्त भूमि बाबत् विपक्षी संख्या 1 से ही विवाद हैं उक्त भूमि के विपक्षी संया 2 से लगायत 10 उक्त भूमि के पडौसी होने से उन्हें पक्षकार बनाया गया हैं। प्रार्थीगण उक्त भूमि पर निर्वाध रूप से कास्त करता चला आ रहा हैं किन्तु प्रार्थीगण की उक्त भूमि क चारो तरफ पत्थर की पक्की बाउण्ड्री अथवा सीमा चिन्ह नहीं होने से विपक्षीगण जो प्रार्थी की भूमि से लगते हुऐ पडौसी हैं हर समय फसल बुवाई एवं कटाई के सीमा संबंधी विवाद करते रहते हैं जिससे प्रार्थीगण को अनावश्यक मुकदमों के लिये विवश होना पडता हैं। मौके पर अशान्ति रहती हैं जिससे प्रार्थीगण अपनी भूमि पर शान्तिपूर्वक कास्त भूमि का उपयोग उपभोग नहीं कर पा रहा हैं। विपक्षीगण प्रार्थीगण की भूमि को अपना बनाकर नाजायज अतिक्रमण करने की मंशा रखता हैं एवं अनावश्यक विवाद पैदा करता हैं जबकि उक्त भूमि पर विपक्षीगण का कोई हक अधिकार नहीं हैं। इसलिये प्रार्थीगण उक्त भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता हैं। भूमि की पत्थरगढी हो जाने पर सीमा संबंधी जो विवाद हैं वह हमेशा के लिये समाप्त हो जाएगा और प्रार्थीगण अपनी भूमि पर शान्तिपुर्वक काश्त कर सकेगा। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की उक्त वर्णित खातेदारी भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को मय नकल प्रार्थना पत्र के सम्मन जारी किये गये। विपक्षीगण को जारी सम्मन तामील हो जाने पर अनुपस्थित व इनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाती हैं। वकील प्रार्थीगण ने प्रकरण में बहस की विद्वान वकील प्रार्थीगण ने बहस में तर्क दिया कि प्रश्नगत भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की पत्थरगढी नहीं होने से विपक्षीगण आये दिन सीमा संबंधी विवाद करते रहते हैं। कभी प्रार्थीगण की भूमि को हांक लेते हैं कभी घास फसल वगैरह काट लेते हैं। यदि उक्त भूमि की पत्थरगढी हो जाती हैं तो सीमा संबंधी जो विवाद हैं वो हमेशा के लिये समाप्त हो जाएगा और प्रार्थीगण शान्तिपूर्वक उसकी भूमि का उपयोग उपभोग कर सकेगा। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें तथा प्रार्थी की उक्त वर्णित भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान करावें।

सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला-राजसमन्द

हमने प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र नकल जमाबन्दी एवं पत्रावली में संलग्न अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा विद्वान वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं तथा ग्राम आंजना पटवार हल्का आंजना तहसील देवगढ़ के खाता नम्बर 343/325 के आराजी नम्बर 107 रकबा 1.09, आराजी नम्बर 115 रकबा 3.08, आराजी नम्बर 118/1 रकबा 0.07, आराजी नम्बर 119/2 रकबा 0.02, आराजी नम्बर 119/3 रकबा 0.04, आराजी नम्बर 121 रकबा 2.03, आराजी नम्बर 123 रकबा 10.06, आराजी नम्बर 301 रकबा 0.18, आराजी नम्बर 307 रकबा 0.04, आराजी नम्बर 308/1 रकबा 0.08, आराजी नम्बर 526/1 रकबा 0.12, आराजी नम्बर 528 रकबा 1.15, आराजी नम्बर 529 रकबा 1.09, आराजी नम्बर 530 रकबा 0.12, आराजी नम्बर 531 रकबा 1.18, आराजी नम्बर 532 रकबा 1.12 कुल किता 16 कुल रकबा 26 बीघा 17 विस्वा भूमि की पत्थरगढी के आदेश दिये जाते हैं। पालना हेतु तहसीलदार देवगढ़ को लिखा जावें कि प्रार्थी से नियमानुसार पत्र जारी करा मौके पर पत्थरगढी करा मौके परचा पेंश करें।

निर्णय आज दिनांक 10.10.2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
देवगढ़ जिला–राजसमन्द